# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

## पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध 198/2022

प्रार्थी :–

1. दीनें खां पुत्र शेर खां जाति मुसलमान निवासी कल्याणपुर
   तह0 कल्याणपुर जिला बाड़मेर

वनाम

विप्रार्थी :– 1. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार कल्याणपुर

**आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956**

**वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती**

उपस्थित :– 1. प्रार्थी स्वंय

**आदेश**

दिनांक :– 27.7.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के फलोअप शिविर में पेश कर जाहिर किया कि मौजा कल्याणपुर पटवार क्षेत्र कल्याणपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर में प्रार्थी के खातेदारी भूमि के खेत खसरा संख्या 950/268 व 219, 266, 355, 964/277, 966/277 में दिने खां पुत्र शेर खां दर्ज है जो शुद्व है व राजस्व ग्राम देमो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 795/510 मे नाम मेरा नाम अलादीन पुत्र शेर खां दर्ज जो अशुद्व है। मेरे सभी दस्तावेज राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता व जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजातो में मेरा नाम दीने खां पुत्र शेर खां है नाम होने से प्रार्थी को अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयां का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी नें विप्रार्थी व हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत इन्द्राज नाम अलादीन पुत्र शेर खां की जगह दीने खां पुत्र शेर खां दुरूस्त करवाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन दिनांक 15.06.2022 को जारी

Signature Not Verified

किया गया । तहसीलदार कल्याणपुर को जारी नोटिस बाद तामिल के

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:48:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को सुना गया तथा हमने प्रकरण का ... से अवलोकन किया ... सही नाम के सम्बन्ध में परिचय पत्र, आधार कार्ड, ... व अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपच ग्राम पंचायत कल्याणपुर, भू0 ... कल्याणपुर व हल्का पटवारी से फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिसमे प्रार्थी का सही नाम दिने खां पुत्र शेर खां हे । मौका फर्द

13. रिपोर्ट में व आम पूछताछ करने पर पाया गया कि दिने खां पुत्र शेर खां व अलादीन पुत्र शेर खां दोनो एक ही व्यक्ति है। अलादीन पुत्र शेर खां नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नही है। ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

14.

स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम राजस्व ग्राम देमो की ढाणी, पटवार क्षेत्र कल्याणपुर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर के खेत खसरा संख्या 795/510 व खाता संख्या 02 मे अशुद्व नाम अलादीन पुत्र शेर खां के स्थान पर दीने खां पुत्र शेर खां दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कल्याणपुर को दिये जाते है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.7.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:48:15 IST
Reason: SelfAttested